बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर० 199/2021

इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 2021-23 के लिए OFSS के माध्यम से विधिवत् नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि **इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2021–2023** के लिए महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों में 11वीं कक्षा में OFSS के माध्यम से कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा मात्र कला एवं वाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के छात्र–छात्राओं को उक्त सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से भरा जाएगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। **इसके लिए समिति के पोर्टल पर सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।**

2. शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों में निर्धारित सीट के अनुरूप OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के संगत एवं वैध तथा सही अभ्यर्थित्व वाले छात्र/छात्राओं का ही सूचीकरण इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021–23 हेतु हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने पाये।

3. विदित् हो कि छात्रहित में शैक्षणिक सत्र 2019–21 से इन्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में निम्नांकित विषय योजना लागू है, जो सत्र 2021–23 के लिए मान्य रहेगा :–

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए विषय योजना

	विषय	विषयों के नाम
1	2	3
अनिवार्य विषय समूह (Compulsory Subject Group)	भाषा विषय – 1	हिन्दी अथवा अंग्रेजी **(100 अंक)**
	भाषा विषय – 2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक (जो भाषा विषय–1 में नहीं लिया गया हो)– **(100 अंक)**
ऐच्छिक विषय समूह (Elective Subject Group)	ऐच्छिक विषय–1 ऐच्छिक विषय–2 ऐच्छिक विषय–3	कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विषयों में से किसी एक संकाय के तीन विषय (पूर्व की भाँति) –**(100 अंक प्रत्येक विषय)**
अतिरिक्त विषय समूह (Additional Subject Group)	अतिरिक्त विषय	उक्त भाषा विषय–2 के विषयों में से कोई एक विषय जो अनिवार्य विषय समूह अर्थात भाषा विषय–1 या 2 के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो। **अथवा** कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय का कोई एक विषय (जो विद्यार्थी जिस संकाय का हो, वे उस संकाय के कोई एक विषय, जो ऐच्छिक विषय समूह के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो)। **अथवा 1. विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए**– (क) कम्प्यूटर साईंस अथवा (ख) मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी में से कोई एक विषय। 2. **कला संकाय के विद्यार्थी के लिए– (क)** कम्प्यूटर साईंस अथवा **(ख)** मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी अथवा **(ग)** योग एवं शारीरिक शिक्षा में से कोई एक विषय।

नोट :– 1. इन्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थी को कुल 05 विषयों यथा– भाषा विषय–1, भाषा विषय–2, ऐच्छिक विषय–1, ऐच्छिक विषय–2 तथा ऐच्छिक विषय–3 का अध्ययन करना अनिवार्य है। **2.** इसके अतिरिक्त, यदि विद्यार्थी चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन कर सकते हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए विषय योजना

	विषय	विषयों के नाम
1	2	3
अनिवार्य विषय (Compulsory Subjects)	भाषा विषय – 1	हिन्दी अथवा अंग्रेजी **(100 अंक)**
	भाषा विषय – 2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, परशियन, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक (जो भाषा विषय–1 में नहीं लिया गया हो)– **(100 अंक)**
ऐच्छिक विषय (Elective Subjects)	ऐच्छिक विषय–1	फाउंडेशन कोर्स **(100 अंक)**
	ऐच्छिक विषय–2	व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड– पत्र–I **(50 सैद्धांतिक + 50 प्रायोगिक= 100 अंक)**
	ऐच्छिक विषय–3	व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड– पत्र–II **(50 सैद्धांतिक + 50 प्रायोगिक= 100 अंक)** **नोटः**–द्वितीय एवं तृतीय ऐच्छिक विषय विद्यार्थी द्वारा चयनित एक ही ट्रेड के दो पत्र होंगे।
अतिरिक्त विषय (Additional Subjects)		Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Agriculture, Business Studies, Accountancy, Enterprenerurship, History, Political Science, Sociology, Economics Psychology, Home Science, Geography, Music, Philosophy, Yoga & Phy. Education में से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है। **नोट** :– वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने छठे अतिरिक्त विषय का चयन किया है, सभी छः विषयों में उत्तीर्ण है तो पास प्रतिशत की गणना नामांकन लेने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान या नियोजक के द्वारा अपने निर्धारित अर्हता के अनुरूप किया जाएगा।

नोट :– 1. इन्टरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 5 अनिवार्य विषयों यथा– भाषा विषय– 1, भाषा विषय–2, ऐच्छिक विषय–1, ऐच्छिक विषय–2 तथा ऐच्छिक विषय–3 का अध्ययन करना अनिवार्य है।
2. इसके अतिरिक्त, यदि विद्यार्थी चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन उपरोक्त तालिका के अनुसार कर सकते हैं।
3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए ट्रेड विषय को छोड़कर शेष अन्य विषय का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें वही हैं, जो कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संगत विषयों के लिए लागू है।

4. सत्र 2021–23 में OFSS से आच्छादित संस्थानों के नियमित (Regular) कोटि के नामांकित छात्र–छात्राओं एवं OFSS से विमुक्त संस्थानों में नामांकित छात्र–छात्राओं के संबंध में :–
OFSS के माध्यम से इन्टरमीडिएट 11वीं कक्षा में नामांकित नियमित कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों (जिनके परीक्षार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरा जायेगा) में निर्धारित सीट्स की संख्या के साथ छात्र/छात्राओं के नाम, माता–पिता के नाम, जन्म तिथि, कोटि, जाति कोटि, लिंग, विषय, आदि के साथ Application Form समिति के वेबसाइट– **inter23.biharboardonline.com** पर अपलोड है। मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्रधान संकायवार निर्धारित आवंटित सीट एवं नामांकित छात्र/छात्रा के अनुरूप ही सत्र 2021–23 के लिए ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरेंगे एवं निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, निर्धारित सीट से अधिक सूचीकरण आवेदन एवं शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/+2 विद्यालय के प्रधान द्वारा छात्र/छात्रा के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन एवं शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा :–

4.1 सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्रधान **दिनांक 02.11.2021 से दिनांक 08.11.2021 तक** की अवधि में अपने शिक्षण संस्थान में OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित नियमित कोटि के छात्र/छात्राओं को समिति के वेबसाइट से Application Form दो प्रति में डाउनलोड कर उपलब्ध करा देंगे, जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा चयनित विषय एवं अन्य विवरणी को भरते हुए हस्ताक्षर किया जाना है।

4.2 नियमित कोटि के प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये एवं हस्ताक्षरित Application Form की एक प्रति को महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्रधान छात्र/छात्रा से प्राप्त करके अपने स्तर पर संधारित करेंगे। इसके उपरान्त अपने कार्यालय में विधिवत् संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की सभी प्रविष्टियों का विधिवत् मिलान कर आश्वस्त हो लेगें कि छात्र/छात्रा द्वारा सूचीकरण आवेदन में भरे गये विवरण शिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों के बिल्कुल अनुरूप हैं। छात्र/छात्रा के Application Form की दूसरी प्रति उनके (छात्र/छात्रा) पास रहेगी।

4.3 शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिन छात्र/छात्राओं का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उसमें से प्रत्येक छात्र/छात्रा के ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की तीन प्रतियाँ समिति के वेबसाईट से डाउनलोड कर उसमें से दो प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख स्वरूप सुरक्षित रखेंगे।

4.4 शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा छात्र/छात्रा का ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की दो प्रति, जो शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ छात्र/छात्रा को दिया गया है, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः शिक्षण संस्थान के प्रधान को एक प्रति उपलब्ध करा देंगे और एक प्रति अपने पास रख लेंगे।

4.5 छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त कराये गये संशोधित सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के पोर्टल पर वांछित संशोधन करेंगे।

4.6 छात्र/छात्रा द्वारा जमा किये गये Application Form के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान, **दिनांक 18.11.2021 तक** ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरेंगे एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे, जिसका लिंक समिति के वेबसाइट **inter23.biharboardonline.com** पर उपलब्ध रहेगा।

4.7 OFSS से विमुक्त संस्थान के नामांकित छात्र–छात्राओं का भी ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र उक्त अवधि में भरा जा सकता है।

5. सूचीकरण कराने वाले नियमित कोटि के कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए :–
ऐसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड यथा–सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/बिहार शिक्षा संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड इत्यादि से 10वीं/माध्यमिक/मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं OFSS के माध्यम से सत्र 2021–23 में 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित होकर नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2021–23 में शामिल होना चाहते हों, उनका सूचीकरण नियमित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में होगा। ऐसे परीक्षार्थी यदि सत्र 2021–23 में नामांकन के आधार पर इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2023 अथवा आगामी वर्षों की परीक्षा में सम्मिलित होने का लक्ष्य रखते हैं, तो उन्हें इसी सत्र 2021–23 में अनिवार्य रूप से कराना होगा। सत्र 2021–23 के नामांकन के आधार पर आगामी सत्र 2022–24 के लिए सूचीकरण नहीं कराया जा सकेगा। सत्र 2022–24 में सूचीकरण कराये जाने हेतु उन्हें पुनः विहित प्रक्रियानुरूप उक्त सत्र (2022–24) में ग्यारवीं कक्षा में नामांकन कराना होगा। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा।

6. स्वतंत्र (Private) कोटि के छात्र/ छात्राओं के संबंध में :–
इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र–2021–23 में स्वतंत्र कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के लिए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र (Format) समिति के वेबसाइट **inter23.biharboardonline.com** पर अपलोड रहेगा। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान **दिनांक 02.11.2021 से दिनांक 08.11.2021 तक** की अवधि में समिति के वेबसाइट से सूचीकरण आवेदन का प्रपत्र दो प्रतियों में डाउनलोड कर सबंधित छात्र/छात्रा को भरने के लिए उपलब्ध करा देंगे। छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये सूचीकरण आवेदन की एक प्रति उनसे प्राप्त करते हुए आवेदन प्रपत्र के अनुरूप शिक्षण संस्थान के प्रधान ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन **दिनांक 18.11.2021 तक** भरेंगे एवं निर्धारित शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे, जिसका लिंक समिति के वेबसाइट **inter23.biharboardonline.com** पर उपलब्ध रहेगा। छात्र/छात्रा के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र की दूसरी प्रति विद्यार्थी के पास रहेगी।

6.1 स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास स्थान वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आवासीय प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।

6.2 स्वतंत्र कोटि के ऐसे छात्र/छात्रा जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हों, मात्र **कला अथवा वाणिज्य संकाय** में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु सूचीकरण करा सकते है।

6.3 स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिये प्रावधान है कि वे 10वीं की परीक्षा की उत्तीर्णता के तीसरे वर्ष में इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु छात्राओं के लिये इसमें एक वर्ष की छूट है। अर्थात् छात्र 10वीं की परीक्षा की उत्तीर्णता के तीसरे वर्ष में, यानी–जो छात्र मैट्रिक/10वीं की परीक्षा 2020 में या इसके पूर्व एवं छात्रा 2021 में या इसके पूर्व उत्तीर्ण हुईं हैं, वे ही स्वतंत्र कोटि के रूप में मात्र **कला अथवा वाणिज्य संकाय** से इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021–2023 में सम्मिलित होने हेतु सूचीकृत हो सकते/सकती हैं। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा। विज्ञान संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।

7. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए :–
व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सत्र 2021–23 के लिए नामांकित नियमित छात्र/छात्रा ही सूचीकरण कराने की पात्रता रखते हैं। विद्यालय प्रधान निर्धारित सीट के अन्तर्गत ही छात्र/छात्रा का सूचीकरण आवेदन एवं शुल्कादि ऑनलाइन जमा करेंगे।

7.1 व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।

7.2 अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी, जो सामान्यतः इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए हैं।

8. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला में अवस्थित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्रधानों की बैठक आहूत कर उन्हें छात्र/छात्राओं का सूचीकरण कराये जाने हेतु सभी नियमों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़ता से अनुपालन करने के संबंध में निदेशित करेंगे।

9. वर्तमान सत्र 2021–2023 के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय में छात्र/छात्राओं का नामांकन OFSS के माध्यम से किया गया हो और किसी कारणवश महाविद्यालय/+2 विद्यालय की मान्यता निलंबित/रद्द की गई हो और सूचीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कोई मामला सामने आता हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व की भाँति किसी निकट के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय से निलम्बित/रद्द वाले महाविद्यालय/+2 विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्बद्ध कर ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं तत्संबंधी शुल्क जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए समिति को भी प्रतिवेदित करेंगे।

10. सूचीकरण/अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् है :–

	मद		निर्धारित शुल्क
छात्र/छात्रा की कोटि	सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए)		₹ 60/–
	ऑनलाइन शुल्क		₹ 25/–
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	₹ 400/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	₹ 200/–
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	₹ 400/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	₹ 200/–
	(iii)	अनुमति शुल्क	₹ 400/–
नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**₹ 485/–**
स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**₹ 885/–**
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।			
अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**₹ 685/–**
अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**₹ 1,085/–**

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र–2021–23 में कम्पार्टमेंटल, क्वालीफाईंग, समुन्नत एवं पूर्ववर्ती कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले सूचीकृत परीक्षार्थियों को सूचीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

11. मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान **दिनांक 18.11.2021 तक** की अवधि में छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरना एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्नवत् है :–
(i) सूचीकरण आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे शिक्षण संस्थान के प्रधान डाउनलोड कर छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराएँगे।
(ii) छात्र/छात्राओं द्वारा सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भर कर शिक्षण संस्थान के प्रधान को उपलब्ध कराया जाएगा।
(iii) शिक्षण संस्थान के प्रधान छात्र/छात्राओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए भरे हुए आवेदन प्रपत्र में अंकित विवरणों का संस्थान के अभिलेख से मिलान कर संतुष्ट होते हुए उनका ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र समिति के पोर्टल पर भरेंगे।

12. ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन–पत्र भरे जाने की प्रक्रिया :–

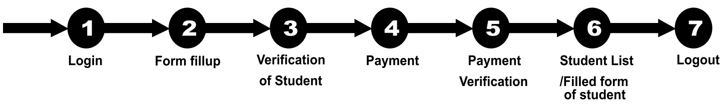

12.1 शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :– शिक्षण संस्थान के प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय का User ID एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति के वेबसाइट– **inter23.biharboardonline.com** के लिंक पर Registration Login कर सूचीकरण शुल्क भुगतान के लिए "Make Payment" पर क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट के होम पेज पर दाहिने भाग में "Quick link" में उपलब्ध रहेगा। सूचीकरण/अनुमति शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है :–

12.2 ई–चालान से नगद भुगतान :– सूचीकरण शुल्क ई–चालान के माध्यम से Axis Bank के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान ई–चालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई–चालान में अंकित बैंक खाता में ही हो। ई–चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। प्रत्येक चालान का अलग–अलग भुगतान आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाय।

12.3 NEFT के माध्यम से भुगतान :– शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT पर अंकित खाता संख्या IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगें। Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायेगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जायेंगी।

➢ शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें।

➢ शिक्षण संस्थान के प्रधान जिस बैंक के खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हों उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अंकित Account No. में जमा कराना अनिवार्य है।

➢ यदि NEFT से शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किया गया भुगतान पुनः उसी खाते में वापस आ जाता है, तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक के Suspense Account में जमा हो जाती है। अतः शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो गया है।

➢ यदि पहली बार किसी बैंक के Account से शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा NEFT से भुगतान किया जा रहा हो तो उस बैंक में अपने Account का CIF नंबर (स्पेशल कैरेक्टर रहित) जिसमें यदि कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा, तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में कोई आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।

➢ शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित A/c No. पर ही भुगतान करेंगे। किसी अन्य A/c No. पर किये गये भुगतान मान्य नहीं होगा।

➢ ऑनलाइन भुगतान Credit Card/Debit Card/Net Banking के माध्यम से भी किया जा सकता है।

➢ शिक्षण संस्थान के प्रधान जिन छात्र/छात्राओं का सूचीकरण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उन सभी छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण आवेदन पत्र की तीन प्रतियाँ समिति के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। दो प्रति अपने हस्ताक्षर/मुहर के साथ संबंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

13. छात्र/छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में :–
इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, सत्र–2021–23 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि जिन छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उस पर संबंधित छात्र/छात्रा का फोटो का साईज एवं प्रकार निम्नवत् रहना अनिवार्य है :–

(i) फोटो का साईज एवं प्रकार :–

Image Size	:	**35mm x 30mm का हो। (40–100 kb के बीच jpg/jpeg फॉरमेट में हो)।**
Head Size/Face Size	:	**25mm X 20 mm**
Background	:	**Plain White or Light Green**

(ii) स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm. width X 1cm. height) में हो तथा आकार 5–20kb से अधिक न हो।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि स्कैन किया गया फोटो उपर्युक्त साईज से भिन्न रहने पर समिति के वेबसाइट पर उनका सूचीकरण आवेदन ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सकेगा।

14. इन्टरमीडिएट कक्षा में छात्र/छात्राओं का नामांकन OFSS के माध्यम से किया जाता है। नामांकन के पश्चात नामांकित सभी छात्र/छात्रा का डाटा System से निकाल कर IT प्रशाखा को उपलब्ध कराया जाता है। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि OFSS के माध्यम से नामांकित छात्र/छात्रा का ही ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा जाय एवं शुल्क जमा किया जाए। OFSS के माध्यम से सत्र 2021–23 में कक्षा 11वीं में नामांकित सभी छात्र/छात्राओं का विवरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध है।

15. यदि किसी भी छात्र/छात्रा, जिसका नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं किया गया है, का ऑनलाइन सूचीकरण कराया जाता है तो उसकी पूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी, जिसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जा सकती है।

16. राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं होता है, के छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जा सकता है।

17. सत्र–2021–2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ छात्र/छात्रा सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय छात्र/छात्रा के नाम, माता–पिता के नाम के स्पेलिंग, जन्म तिथि, कोटि, जाति कोटि, लिंग, विषय आदि में कोई त्रुटि न हो।

18. विशेष रूप से अंकनीय है कि राज्य में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत किये गये हैं, जिससे सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अवगत हैं। इस परिदृश्य में उपर्युक्त कार्य के दरम्यान सभी शिक्षण संस्थानों में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये सूचीकरण आवेदनों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में काउन्टर लगाये जायें, जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय। आवेदन पत्र जमा करने के लिए उपस्थित होने वाले छात्र/छात्राएँ पर्याप्त आपसी दूरी पर पंक्तिबद्ध रहकर फॉर्म जमा करेंगे। प्रत्येक काउन्टर पर सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। शिक्षण संस्थान के प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन पत्रों को जमा कराने के क्रम में अनावश्यक भीड़ न हो तथा उपस्थित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक यत्र–तत्र न थूकें एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से अपने–अपने आवेदनों को निर्दिष्ट काउन्टरों पर जमा करें।

19. अतः अनुरोध है कि प्राथमिकता देते हुए सत्र–2021–2023 के सही अभ्यर्थित्व वाले छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवानें की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

20. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के **हेल्पलाइन नं0–0612–2230039, 2235161** पर सूचित कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)